न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या:—84 / 2022

प्रार्थी :—

पुष्पराज पुत्र सोहनराज जाति ओसवाल (बोहरा) निवासी जालोर तहसील व जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी
2. चम्पालाल पुत्र प्रतापराम सोलंकी
3. जगदीश सोलंकी पुत्र प्रतापराम सोलंकी जाति सोलंकी निवासी हनूमान मंदिर गली राजेन्द्र नगर जालोर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:— श्री पुष्पराज प्रार्थी स्वयं

—:: आदेश ::— दिनांक :—22.02.2024

यह प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2022 को अपास्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई करने एवं राजस्व रिकार्ड का गहराई से अध्ययन कर पुनः विधिवत कार्यवाही संपादित करने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कि गई। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पत्रावली पुनः दर्ज की गई।

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम फुलण तहसील समदडी की खसरा संख्या 400 / 165 रकबा 04.0469 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी की है। उक्त भूमि प्रार्थी ने राणा पुत्र मोडा जाति भाट निवासी फूलण से दिनांक 06.12.2005 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीद की। तत्पश्चात प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कायम हुआ। तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई तरमीम में खसरा संख्या 400 / 165, खसरा संख्या 399 / 165 के उतरी तरफ दर्शाया गया। लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रुटिवश पूर्व में की गई तरमीम के अनुसार इन्द्राज न करके खसरा संख्या 400 / 165, मूल खसरा संख्या 165 के बदिशा [illegible] की तरफ दर्शा दिया जो एर्र ऑफ फेस ऑफ रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थी ने उक्त [illegible] की खसरा संख्या 400 / 165 में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए पूर्व में कि गई तरमीम दिनांक [illegible].07.2013 के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलसुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:04 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार समदड़ी द्वारा पत्रांक–भू.अ/2024/206 दिनांक 15.02.2024 को रिपोर्ट प्रेषित कि गई।

प्रार्थी की बहस है कि ग्राम फुलण तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 400/165 के पूर्व में खसरा संख्या 165/4 था, जो राणा वल्द मोडा जाति भाट के नाम आवंटित होकर नामान्तरकरण संख्या 307 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में राणा वल्द मोडा के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि दिनांक 06.12.2005 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीद की। वक्त आवंटन उक्त भूमि की तरमीम नहीं कि गई थी तथा दिनांक 18.04.2015 को उक्त खसरे की तरमीम दर्शायी गई थी जो लट्ठा ट्रेस पी35 क्रमांक 1238/18.04.2015 मे पूर्णतया स्पष्ट है। अतः प्रार्थी उक्त भूमि की खसरा संख्या 400/165 में विद्यमान तरमीम को निरस्त करवाते हुए पूर्व में कि गई तरमीम दिनांक 19.07.2013 के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फुलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 400/165 प्रार्थी को जरिये पंजीकृत विक्रेय विलेख राणा पुत्र मोडा जाति भाट से प्राप्त हुई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 307 है। नामान्तरकरण संख्या 307 की पुश्त पर नजरी नक्शा चारभुजाकार के रूप में दर्ज है। खसरा संख्या 400/165 की तरमीम ऑनलाईन भू नक्शा पर मूल खसरा संख्या 165 के दक्षिणी–पूर्वी हिस्से में खसरा संख्या 181 से लगती दर्शायी हुई है। खसरा संख्या 400/165 का पुराना खसरा नामान्तरकरण संख्या 307 के अनुसार 165/4 है जो तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में पीले रंग से दर्शाया गया है जिस पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के कब्जे के रूप में ग्रेनाईट मलबे का ढेर है जो लट्ठा ट्रेस में दर्ज पुरानी तरमीम से 06 जरीब दक्षिण में डाला हुआ है तथा मलबे के दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में वन विभाग द्वारा खाई खोदकर मेड़ बनाई हुई तथा वृक्षा रोपड़ किया हुआ है। जिसे परिशिष्ट 'अ' में डोटेड लाईन के रूप में दर्शाया गया है। परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग हरा अनुसार 10 बीघा भूमि में प्रार्थी द्वारा ग्रेनाईट का मलबा डाला हुआ है तथा 15 बीघा भूमि मौके पर खाली है। परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग हरा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के संबंध में प्रार्थी द्वा[illegible] जाहिर कि गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:04 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी [illegible] ग्राम फुलण तहसील समदडी के खसरा सं[illegible] बीघा (4.0469 हैक्टेयर) भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए, तहसी[illegible]र समदडी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2024/206 दिनांक–15.02.2024 प्रेषित जॉच रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तथा इस आदेश से मूल खसरा संख्या 165 का न तो रकबा प्रभावित होगा और न ही 511 व 512 लीज पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

आदेश आज दिनांक 22.02.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:04 IST
Reason: SelfAttested

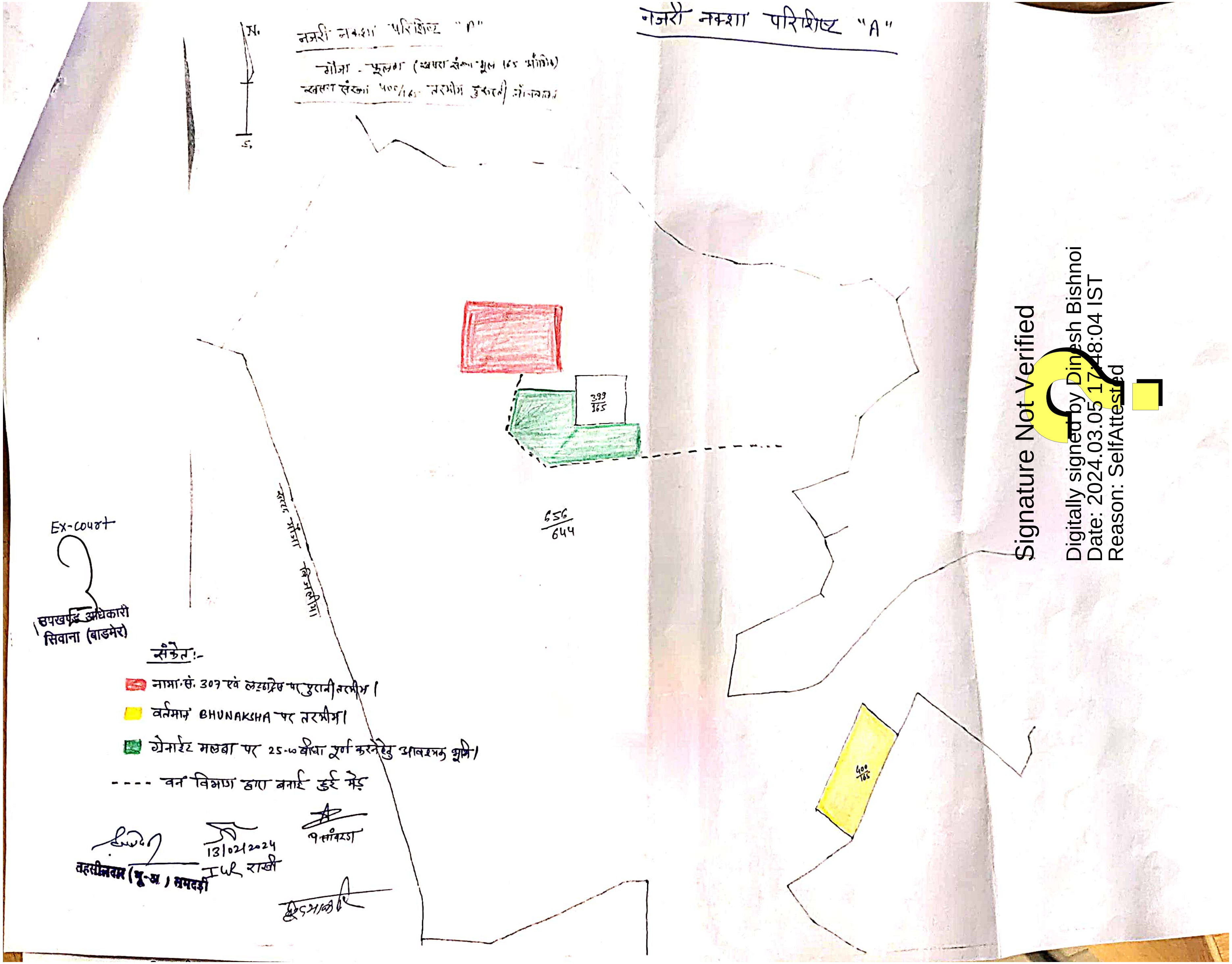

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.03.05 17:48:04 IST
Reason: SelfAttested